वित मंत्रालय मांग संख्या 34 प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			ਕ ਤਟ 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	5543.95	133.78	5677.73	5881.85	228.79	6110.64	6273.18	228.82	6502.00	6728.00	254.00	6982.00
वस् <i>लियां</i>	-0.32	-4.12	-4.44		-2.00	-2.00		-2.00	-2.00		-2.00	-2.00
 प्राप्तियां												
निवल	5543.63	129.66	5673.29	5881.85	226.79	6108.64	6273.18	226.82	6500.00	6728.00	252.00	6980.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
क. वसूलिया का यटान के बाद बजट आबटन इस प्रकार है.												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण												
1.01 आय कर का संग्रहण	4679.33		4679.33	4970.16		4970.16	5300.84		5300.84	5685.16		5685.16
1.02 निगम कर का संग्रहण	725.16		725.16	764.65		764.65	815.51		815.51	874.64		874.64
1.03 वास्तविक वसूली	-0.32		-0.32									
निवल	5404.17		5404.17	5734.81		5734.81	6116.35		6116.35	6559.80		6559.80
2. संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण												
2.01 धन कर का संग्रहण	13.95		13.95	14.70		14.70	15.68		15.68	16.82		16.82
2.02 प्रतिभूतियां लेनदेन कर	27.89		27.89	29.41		29.41	31.37		31.37	33.64		33.64
2.03 अन्य करों का संग्रहण	97.62		97.62	102.93		102.93	109.78		109.78	117.74		117.74
2.04 तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन		85.69	85.69		106.00	106.00		106.02	106.02		174.37	174.37
2.05 तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन		46.18	46.18		120.79	120.79		120.80	120.80		77.63	77.63
जोड़- संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण	139.46	131.87	271.33	147.04	226.79	373.83	156.83	226.82	383.65	168.20	252.00	420.20
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5543.63	131.87	5675.50	5881.85	226.79	6108.64	6273.18	226.82	6500.00	6728.00	252.00	6980.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
 आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण 												
3.01 सकल व्यय		1.91	1.91		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
3.02 घटाइए-विक्री प्राप्तियां		-4.12	-4.12		-2.00	-2.00		-2.00	-2.00		-2.00	-2.00
निवल		-2.21	-2.21							•••	***	
कुल जोड़	5543.63	129.66	5673.29	<i>5881.85</i>	226.79	6108.64	6273.18	226.82	6500.00	6728.00	252.00	6980.00

(₹ करोड)

			i			ı			1		(र कराइ)
	वास्तविक 2016-2017			ब जट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. योजना परिव्यय												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	5404.17		5404.17	5734.81		5734.81	6116.35		6116.35	6559.80		6559.80
 संपत्ति करों, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण 	139.46		139.46	147.04		147.04	156.83		156.83	168.20		168.20
 लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 		85.69	85.69		106.00	106.00		106.02	106.02		174.37	174.37
 विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 		-2.21	-2.21									
जोड़-सामान्य सेवाएं सामाजिक सेवाएं	5543.63	83.48	5627.11	5881.85	106.00	5987.85	6273.18	106.02	6379.20	6728.00	174.37	6902.37
5. आवास पर पूंजी परिव्यय		46.18	46.18		120.79	120.79		120.80	120.80		77.63	77.63
जोड़-सामाजिक सेवाएं		46.18	46.18		120.79	120.79		120.80	120.80		77.63	77.63
कुल जोड़	5543.63	129.66	5673.29	5881.85	226.79	6108.64	6273.18	226.82	6500.00	6728.00	252.00	6980.00

- 1.01. **आय कर का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।
- 1.02. **निगम कर का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।
- 2.01. **धन कर का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।
- 2.02. **प्रतिभूतियां लेनदेन कर:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।
- 2.03. अन्य करों का संग्रहण: यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

- 2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद का/ भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।
- 2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद का/ भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।
- 3.01. **सकल व्यय:** यह सकल व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही खरीदे गए संपत्तियों की देखरेख और उससे संबंधित प्रतिभूति प्रभार के लिए किया गया है।
- 3.02. **घटाइए-बिक्री प्राप्तियां:** घटाइए-बिक्री प्राप्तियां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के अध्याय XXC के अंतर्गत यथा परिकल्पित अचल संपत्ति खरीद के लिए भारत सरकार के पूर्व क्रियाधिकार से संबंधित है। निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रत्यक्ष कीमत वाली परिसंपत्तियों की खरीद के लिए ऐसे आदेश यथोचित प्राधिकारी द्वारा दिए गए थे।